

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-281/2006

संस्थित दिनांक-11.05.2006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

पप्पू उर्फ विरेन्द्र पिता राजू बंजारा जाति बंजारा, उम्र-31 वर्ष,
 साकिन लगमा पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-15.02.2018 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-20.02.2006 को रात्रि 7:30 बजे, पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर अंतर्गत सोसाईटी के सामने से फरियादी श्यामसन हरपाल के आधिपत्य की मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी.50/बी.ए.-0957 को उसकी अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से ले जाकर चोरी की।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी श्यामसन ने पुलिस थाना रूपझर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक 20.02.2006 को वह उसके दोस्त सैयद रहीम की मोटरसाईकिल बॉक्सर ए.टी. को लेकर रात करीब 7:30 बजे मटन मार्केट उकवा बाजार चौक आया था। मोटरसाईकिल फरियादी ने सोसायटी के सामने रोड़ किनारे रख दी थी। फरियादी मीट खरीदकर जब वापस सोसायटी के पास आया था तो वहां पर मोटरसाईकिल नहीं थी। फरियादी ने आस-पास पूछताछ एवं तलाश की थी तो मोटरसाईकिल नहीं मिली थी। फरियादी की मोटरसाईकिल को कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया था। फरियादी ने उसके दोस्त सैयद रहीम को घटना के बारे में बताया था। मोटरसाईकिल का नम्बर एम.पी.50/बी.ए. 0957 चेचिस नंबर-DFFBKB-88968, इंजन नंबर DFMKB88914 है। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना रूपझर ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक-23/2006 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

3- अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धारा का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया

था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4— अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-20.02.2006 को रात्रि 7:30 बजे, पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर अंतर्गत सोसाईटी के सामने से फरियादी श्यामसन हरपाल के आधिपत्य की मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी.50/बी.ए.-0957 को उसकी अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से ले जाकर चोरी की ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6— श्यामसन अ.सा.1 का कहना है कि घटना वर्ष 2006 की है। घटना के समय वह अपने मित्र सैयद रहीम की बॉक्सर मोटरसाईकिल क्र 0957 से मटन मार्केट उकवा बाजार गया था। मोटरसाईकिल को रोड के किनारे खड़ी कर दी थी। साक्षी जब वापस लौटकर आया था तो उसे मोटरसाईकिल नहीं मिली थी। मोटरसाईकिल कोई चोरी कर ले गया था। इसके बाद साक्षी ने उसके मित्र सैयद रहीम को फोन करके मोटरसाईकिल चोरी होने की घटना के बारे में बताया था। इसके बाद साक्षी ने चौकी उकवा में प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्षी ने पुलिस को घटनास्थल बताया था। साक्षी के बताए अनुसार पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। पुलिस ने साक्षी से पूछताछ कर कथन लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मोटरसाईकिल किसके द्वारा चोरी की गई थी, साक्षी को पता नहीं है। प्रदर्श पी-2 के नक्शामौका की लिखापट्टी पुलिस ने चौकी में की थी।

7— सिरपत मोहबे प्रधान आरक्षक अ.सा.6 का कथन है कि फरियादी श्यामसन के द्वारा बॉक्सर मोटरसाईकिल क्र. ए.टी. एम.पी-50/बी.ए-0957 की चोरी की सूचना दी थी। साक्षी ने चोरी की सूचना की शून्य पर प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कर असल कायमी के लिए पुलिस थाना रूपझर को भेजी थी। उसके आधार पर अप.क्र. 23/06 की असल कायमी की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। साक्षी ने अनुसंधान के समय घटनास्थल पर पहुंचकर फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी-2 बनाया था।

8— सैयद रहीम अ.सा.3 का कहना है कि घटना कब की है उसे पता नहीं है। उसके सामने पुलिस ने अभियुक्त को नहीं पकड़ा था। साक्षी से दिनांक-20.02.2006 को फरियादी श्यामसन मोटरसाईकिल मांगकर उकवा बाजार मटन खरीदने गया था। साक्षी की मोटरसाईकिल क्र. एम.पी.-50/बी.ए-0957 चोरी हो गई थी। साक्षी ने मोटरसाईकिल थाने से प्राप्त की थी। साक्षी के पुलिस ने कोई बयान नहीं लिये थे।

9— सिरपत महोबे अ.सा.6 का कहना है कि उनके द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-5 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था एवं अभियुक्त का प्रदर्श पी-3 का मेमोरेण्डम गवाहों के समक्ष लेखबद्ध किया था, जिसके सी से सी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं एवं डी से डी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। साक्षी द्वारा बॉक्सर मोटरसाईकिल क्र. एम.पी.-50/बी.ए-0957 श्री ढाबा बैहर से अभियुक्त की निशानदेही पर गवाहों के समक्ष अभियुक्त से प्रदर्श पी-4 के जप्तीपंचनामे द्वारा जप्त की थी एवं फरियादी श्यामसन एवं साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे।

10— आनेन्द्र डोंगरे अ.सा.2, महिपाल अ.सा.4 का कथन है कि उनके सामने अभियुक्त ने प्रदर्श पी-3 का मेमोरेण्डम नहीं दिया था एवं अभियुक्त से प्रदर्श पी-4 के जप्तीपंचनामा द्वारा मोटरसाईकिल जप्त नहीं की थी। अभियुक्त को प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार नहीं किया था। दोनों साक्षीगण ने प्रदर्श पी-3 के मेमोरेण्डम एवं प्रदर्श पी-4 के जप्तीपंचनामा पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। आनेन्द्र डोंगरे अ.सा.2 को घटना की जानकारी नहीं है। महिपाल अ.सा.4 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बताया है कि उसे पता नहीं है कि अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल को चुराकर ढाबे में रखने वाला बयान दिया था। साक्षी के सामने अभियुक्त को गिरफ्तार पंचनामा नहीं बनाया था। साक्षी ने प्रदर्श पी-6 के पुलिस कथन का ए से ए भाग पुलिस को देने एवं बताने से इंकार किया है। आनेन्द्र डोंगरे अ.सा.2, महिपाल अ.सा.4 ने प्रदर्श पी-3 के मेमोरेण्डम, प्रदर्श पी-4 के जप्तीपंचनामा एवं प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारी पंचनामों की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

11— श्रीचंद अ.सा.5 का कहना है कि घटना 8-10 पूर्व की है। उसके ढाबे के पास कोई अज्ञात व्यक्ति गाड़ी खड़ी करके चला गया था। गाड़ी 1-2 दिन तक खड़ी रही थी। उसके बाद पुलिस थाना रूपझर से पुलिसवाले किसी लड़के को

लेकर आए थे साक्षी ने गाड़ी जप्त करवाई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बताया है कि पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी ने प्रदर्श पी-7 के पुलिस कथन का ए से ए भाग पुलिस को देने एवं बताने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि पुलिसवाले किस लड़के को लेकर आए थे एवं ढाबे के पास किसके द्वारा गाड़ी खड़ी की गई थी, साक्षी को पता नहीं है। इस साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं होता है।

12— सिरपत मोहबे अ.सा.6 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-2 में यह बताया है कि रिपोर्ट दिनांक-21 तारीख को सुबह 9:30 बजे की गई थी एवं 21 तारीख को साक्षी ने असल कायमी क्यों नहीं की थी, साक्षी ने उसका कोई कारण नहीं बताया है। साक्षी ने उनकी साक्ष्य में यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-2 के नक्शामौका में नक्शामौका बनाने के समय का उल्लेख नहीं किया है एवं साक्षी को स्वयं को भी पता नहीं है कि उसने प्रदर्श पी-2 के नक्शामौका कितने बजे तैयार किया था। साक्षी ने प्रदर्श पी-2 के नक्शामौका में घटनास्थल के चिन्हित स्थान की दूरी को नहीं लिखा है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह बताया है कि उसने प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारी पंचनामे में यह नहीं लिखा है कि अभियुक्त को कहां से गिरफ्तार किया था। प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारी पंचनामे में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त को किस स्थान से गिरफ्तार किया था। प्रदर्श पी-3 के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-4 के जप्तीपंचनामा, प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारी पंचनामा के आनेन्द्र डोंगरे अ.सा.2, महिपाल अ.सा.4 साक्षी हैं। इन साक्षीगण ने प्रदर्श पी-3 के मेमोरेण्डम, प्रदर्श पी-4 के जप्ती पंचनामा, प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारी पंचनामा के जप्तीकर्ता अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

13— श्यामसन अ.सा.1 ने प्रदर्श पी-2 के नक्शामौका की लिखापढ़ी पुलिस चौकी में की जाना और चौकी पर हस्ताक्षर करना बताया है। श्यामसन अ.सा. 1 एवं प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सिरपत मोहबे अ.सा.6 की साक्ष्य में प्रदर्श पी-2 के नक्शामौका को बनाने के स्थान के संबंध में विरोधाभास है। जप्तीकर्ता अधिकारी की प्रदर्श पी-2 के नक्शामौका, प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारी पंचनामा की कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है।

14— प्रकरण में फरियादी श्यामसन अ.सा.1 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा-4 में यह बताया है कि घटना सोमवार की दिन की नहीं है, जबकि प्रकरण की

प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिन सोमवार लिखा है। फरियादी श्यामसन की साक्ष्य एवं प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट में घटना के दिन के संबंध में विरोधाभास है। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि उसने घटना की सूचना घटना दिनांक को दी थी। जबकि प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट में घटना की दिनांक-20.02.06 लिखी है और थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक-21.02.06 लिखी है। फरियादी की साक्ष्य एवं प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकरण की रिपोर्ट लिखाने की दिनांक के संबंध में विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संदिग्ध दर्शित होती है। अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से प्रदर्श पी-5 का गिरफ्तारी पंचनामा संदिग्ध दर्शित होता है। अभियुक्त से मोटरसाईकिल जप्ती के संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी सिरपत महोबे के कथन स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से समर्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका यह कथन कि उन्होंने अभियुक्त की निशानदेही से बॉक्सर मोटरसाईकिल क्र. एम.पी-50/बी.ए-0957 जप्त की थी। स्वभाविक एवं विश्वास योग्य नहीं पाये जाते हैं। अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त का मेमोरेण्डम किस स्थान पर लिया था। अनुसंधान अधिकारी के मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में विरोधाभास है। अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में घटनास्थल पर रवानगी, वापसी का रोजनामचा सान्हा भी प्रमाणित नहीं कराया है। प्रकरण के उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य की उपरोक्तानुसार की गई विवेचना एवं निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे भा.द.वि. की धारा-379 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15— प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही /—
(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला—बालाघाट

सही /—
(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला—बालाघाट